




दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
18.09.2018	<p>पत्रावली पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर होकर नोटिस प्रार्थी एवं रेस्पो0 जारी हो। टिप्पणी रेस्पो0 तलब होकर पत्रावली दिनांक 03.10.2018 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">                       अति. कलक्टर (द्वितीय)                      सांगानेर                 </p>	
3-10-18	<p><del>पत्रावली पेश हुई कोई उपस्थित नहीं है।</del>                      कोटिक भाई होकर पत्रावली दिनांक 23-10-18 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">                       अति. कलक्टर (द्वितीय)                      सांगानेर                 </p>	2360 84
23-10-18	<p><del>पत्रावली पेश हुई कोई उपस्थित नहीं।</del>                      पुनः नोटिस होकर दिनांक 31-10-18 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">                       अति. कलक्टर (द्वितीय)                      सांगानेर                 </p>	
31-10-18	<p><del>पत्रावली पेश हुई कोई उपस्थित नहीं।</del> राज्य लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, सांगानेर ने जवाब प्रस्तुत किया है कि कांछित सूचना विपक्ष अधिकारी, पंचायत समिति सांगानेर से प्राप्त होने के कारण सूचना के अधिकांक अधिनियम, 2005 के धारा 6(3) के तहत मूल आवेदन को जारी किया जा रहा है। A-16/2022-2023 दिनांक 17-7-18 दिनांक अधिकारी, पंचायत समिति सांगानेर को विपक्ष अपील में उन्तर्गत कर दिया गया, जिसकी सूचना अपीलकर्ता को जरूरी संवादा डाक प्रेषित कर दे गई थी। एबी रिपोर्ट में यदि सूचना प्राप्त नहीं हुई, तो प्रथम पंचायत समिति - सांगानेर के कनिष्ठ अधिकारी को सूचना उपखण्ड अधिकारी से अपील प्रस्तुत नहीं की जायेगी।</p>	

# फर्द अहकाम

विक्रम सिंह

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी,  
(उपखण्ड अधिकारी) सांगानेर

आर.टी.आई. अपील संख्या 06/2018

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	<p>राज्य लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड) सांगानेर के द्वारा लोक सूचना अधिकाारी, उ. ख. सं. सांगानेर के अर्जित जवाब दिनांक 18-10-2018 में प्रतीलाभ प्राप्त का प्रार्थना पर काजोलप में दिनांक 17-7-18 के प्राप्त होना व दिनांक 17-7-18 का विवरण सांगानेर के अन्तर्गत किया जाता जा रहा है। राज्य लोक सूचना अधिकारी ने प्रारंभिक अर्जित जवाब में दिनांक 6-7-18 को प्रतीलाभ स्वीकार किया है जिसे अधिनियम क्रमांक 6 (3) के अनुसार प्रारंभिक दिनांक के अर्जित में अन्तर्गत कर दिया जाता है। यह जो कि निर्धारित समयवधि में अन्तर्गत नहीं किया जाता जा रहा है अतः राज्य लोक सूचना अधिकारी के निर्धारित अर्जित में अन्तर्गत नहीं किने जाते के कारण अपील अपीलानु स्वीकार की जाती है। राज्य लोक सूचना अधिकारी-उपखण्ड अधिकारी, सांगानेर के अर्जित दिनांक 10-10-2018 सांगानेर से प्राप्त लोक सूचना सांगानेर प्रतीलाभ-प्राप्त के 10 दिनों में विशुद्ध उपलब्ध कराने। निर्धारित की प्रति भेजी जावे किने पर इमलाने सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">31/10/18</p> <p style="text-align: center;">जति. कलकर (विशेष)</p>	<p>जिपिड पत्र 255051 06-11-20</p>